

पूर्वोत्तर रेलवे
शुद्धि पत्र

विषय:- सकाधि, (ग्रुप-बी) 70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध चयन के संबंध में अधिसूचना।

संदर्भ:- इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15.02.2021

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2021 को जारी सहायक कार्मिक अधिकारी 70 प्रतिशत चयन हेतु समसंख्यक अधिसूचना के पैरा-02 के नीचे टेबुल के कम.सं. 01 के समक्ष इंगित "तकनीकी राजभाषा नियम" के स्थान पर कृपया "तकनीकी/व्यवसायिक विषय एवं राजभाषा नियम" पढा जाये।

(राजेश कुमार शण्डेय)
सकाधि/राज0

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक
दिनांक 16.02.2021

सं. का/254/14-सकाधि/70प्रतिशत/2021 (I)

1. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक/पूउरे/गोरखपुर।
2. सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष।
3. सभी मंरेप्र/वमंकाधि/मंकाधि/वमंप्र/वमंवाप्र/वमंविप्र/वमंयॉई/वमंसिदूई/वमंविई/वमंई/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
4. सभी मंडलेतर इकाईया एवं मुकाप्र/काकाधि/कारखाना/गोरखपुर एवं इज्जतनगर।
5. चि0नि0/लनामिरेचि/गोरखपुर एवं वमंयॉई/डीजल शेड/वमंविई/गोण्डा, इज्जतनगर।
6. उपमुकाधि/मुख्या/वकाधि/आरपी/सचिव/प्रमुकाधि/गोरखपुर।
7. उपमुसाप्र/निर्माण, सचिव/मुप्राधि/निर्माण, प्रमुवाप्र/प्रमुपरिप्र/गोरखपुर।
8. उपमुई/गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर एवं वकाधि/निर्माण एवं चीफ कैशियर/गोरखपुर।
9. सकाधि/पुल कार/सिग कार/गोरखपुर छावनी, सकाधि/प्रेस एवं डिपो।
10. सभी कार्मिक अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर एवं सकाधि/मुख्या-। एवं ।।/गोरखपुर।
11. विधि अधिकारी, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यकुशलता अधिकारी/जांच अधिकारी/गोरखपुर।
12. मुसुआ/अपर निबन्धक/रेल दावा अधिकरण एवं प्रधानाचार्य/एमएसटीसी/पूउरे/गोरखपुर।
13. महाप्रबन्धक/आर ई/इलाहाबाद एवं डी एल डब्लू/वाराणसी।
14. अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/गोरखपुर एवं अध्यक्ष/आरआरसी/गोरखपुर।
15. सचिव/स्था./रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
16. मुख्य संरक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
17. महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाये/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
18. रेलवे वेबसाईट प्रति।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

सं. का/254/14-सकाधि/70प्रतिशत/2021 (i)

1. वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक/अपर महाप्रबन्धक/पूउरे/गोरखपुर।
2. सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष।
3. सभी मंरेप्र/वमंकाधि/मंकाधि/वमंपप्र/वमंवाप्र/वमंविप्र/वमंयॉई/वमंसिदूर्ई/वमंविई/वमंई/इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी।
4. सभी मंडलेतर इकाईया एवं मुकाप्र/काकाधि/कारखाना/गोरखपुर एवं इज्जतनगर।
5. चि0नि0/लनामिरेचि/गोरखपुर एवं वमंयॉई/डीजल शेड/वमंविई/गोण्डा, इज्जतनगर।
6. उपमुकाधि/मुख्या/वकाधि/आरपी/सचिव/प्रमुकाधि/गोरखपुर।
7. उपमुसाप्र/निर्माण, सचिव/मुप्राधि/निर्माण, प्रमुवाप्र/प्रमुपरिप्र/गोरखपुर।
8. उपमुई/गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर एवं वकाधि/निर्माण एवं चीफ कैशियर/गोरखपुर।
9. सकाधि/पुल कार/सिग कार/गोरखपुर छावनी, सकाधि/प्रेस एवं डिपो।
10. सभी कार्मिक अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर एवं सकाधि/मुख्या-। एवं ।।/गोरखपुर।
11. विधि अधिकारी, सांख्यिकीय अधिकारी, कार्यकुशलता अधिकारी/जॉच अधिकारी/गोरखपुर।
12. मुसुआ/अपर निबन्धक/रेल दावा अधिकरण एवं प्रधानाचार्य/एमएसटीसी/पूउरे/गोरखपुर।
13. महाप्रबन्धक/आर ई/इलाहाबाद एवं डी एल डब्लू/वाराणसी।
14. अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड/गोरखपुर एवं अध्यक्ष/आरआरसी/गोरखपुर।
15. सचिव/स्था./रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
16. मुख्य संरक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
17. महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाये/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
18. रेलवे वेबसाईट प्रति।

विषय:- सकाधि, (गुप-बी) 70प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध चयन के संबंध में अधिसूचना।

.....

सहायक कार्मिक अधिकारी (गुप-बी) 70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध 04 (चार) सामान्य पदों की नामिका बनाने हेतु लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर चयन कराने का निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त चयन हेतु लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना अल्प अवधि में किसी भी समय दी जा सकती है।

1. **पात्रता की शर्तें**— उपरोक्त चयन हेतु पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं—

सकाधि, गुप-बी, 70 प्रतिशत की रिक्तियों निम्नलिखित में से चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा भरी जायेगी, जिसमें एक लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा शामिल होगी—

- i. कार्मिक विभाग के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी समूह—ग।
- ii. भण्डार एवं परिवहन (यातायात एवं वाणिज्य विभाग) सांख्यिकीय और संकलन शाखा मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी समूह—ग एवं मुख्य विधि सहायक, सभी विभागों के आशुलिपिक (लेखा विभाग को छोड़कर) जिनके पास उनके अपने विभाग में समूह—ख में पदोन्नति के लिए अवसर हो लेकिन उनको दिये गये विकल्प के आधार पर उन्हें सकाधि (गुप-बी) के पद पर पदोन्नति करने के लिए विचार करने के लिए चुना जाता है।
- iii. भारतीय रेल के हिन्दी संगठन और लेखा विभाग को छोड़कर किन्तु रोकड़ और वेतन एवं समय कार्यालय जहाँ उनके अपने विभाग में समूह—ख में पदोन्नति के लिए अवसर नहीं है, सहित अन्य किसी विभाग में सम्बर्ग पद में कार्यरत समूह—ग अन्य मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी।

वेतन मैट्रिक के लेवल—6 तथा उससे ऊपर लेवल में नियमित आधार पर पदों पर नियुक्त कर्मचारी जिन्होंने लेवल—6 में 03 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, से चयन किया जायेगा।

टिप्पणी—1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जायेगा। बशर्ते की उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता से आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक तथा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

कमश:-----2/-

टिप्पणी-2 सकाधि के समूह-ख के लिए 70प्रतिशत भाग चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के बाद योग्यता के क्रम में रिक्तियों की छःगुना की सीमा तक अभ्यर्थियों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद सफल अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर पैनल में शामिल किया जाता है।

2. परीक्षा की योजना-

उपरोक्त चयन रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (जीपी) 2018/2/31 दिनांक 19.03.2019 में निहित निर्देशानुसार सम्पन्न कराया जायेगा। तदनुसार लिखित परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, जो 100 अंको का होगा तथा उक्त प्रश्न पत्र में 100 प्रतिशत केवल वस्तुनिष्ठ किस्म के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। गलत जबाबों के नकारात्मक अंक होंगे। प्रत्येक गलत जबाब के लिए प्रत्येक प्रश्न हेतु आबंटित अंकों में से एक तिहाई काटा जायेगा। लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेख एवं मौखिक परीक्षा के अंको का आवंटन निम्नवत् है -

क्र.सं.	प्रश्न पत्र	पूर्णांक	अर्हक अंक
1	तकनीकी राजभाषा नियम	70	60
2.	स्थापना एवं वित्तीय नियम	30	
3.	मौखिक परीक्षा सेवा अभिलेख	25} 25}	30 (इसमें सेवा अभिलेख में कम से कम 15 अंक प्राप्त होना आवश्यक है।)

आई.आर.ई.एम. Vol-I के पैरा-204.3 के अनुसार व्यावसायिक योग्यता के लिए निर्धारित कुल अंको का 10प्रतिशत अंक के बराबर प्रश्न राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित विषयों पर आधारित होंगे, परन्तु ये प्रश्न अनिवार्य नहीं होंगे।

2. नियंत्रक अधिकारी/संबंधित कार्मिक अधिकारी के पास आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक **08.03.2021** है तथा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक **15.03.2021** है।

3. पात्र कर्मचारी जो इस सेलेक्शन में भाग लेना चाहते हैं, अनुलग्नक-अ के रूप में संलग्न प्रोफार्मा पर अपना आवेदन नियंत्रक अधिकारी को देंगे, तत्पश्चात नियंत्रक अधिकारी उक्त आवेदन को संबंधित कार्मिक अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। संबंधित कार्मिक अधिकारी आवेदन पत्र के सभी कालमों को सत्यापित करेंगे और विशेष वाहक द्वारा दिनांक **15.03.2021** तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस चयन हेतु पात्र अभ्यर्थी यदि अवकाश, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति पर हो तो नियंत्रक अधिकारी, कृपया यह सूचना उन्हें पावती सहित रजिस्टर्ड डाक से उनके वर्तमान पते पर भेजवा दें तथा इस कार्यालय को भी सूचित करें। सामान्य रूप से अनुपस्थिति लिखित परीक्षा कराने का कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने पर एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदन पर अभ्यर्थी को अनुपस्थिति लिखित परीक्षा में बुलाया जा सकता है। पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने का तात्पर्य यह है कि अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल रेलवे चिकित्सा अधिकारी का विशिष्ट प्रमाण पत्र एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि उन्हें प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि पर कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है, मान्य होगा। अनुपस्थित लिखित परीक्षा में बैठने की सूचना लिखित परीक्षा के 07 दिन के अन्दर नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उपमुकाधि/राज0 के कार्यालय में भेजने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

5. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई/(जीपी) 2010/2/39 एवं आरबीई सं0 142/2019 दिनांक 28.08.2019 के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों के विरुद्ध चयन पूर्व अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण नहीं कराया जाना है।

अभ्यर्थी कृपया आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप पर ही आवेदन करें।

इस अधिसूचना की एक प्रति व्यापक प्रचार हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाय। यह अधिसूचना उपरोक्त चयन हेतु पूर्व सूचना मानी जायेगी। परीक्षा पाठ्यक्रम संलग्न है।

संलग्नक/अनुलग्नक-अ (प्रोफार्मा) एवं पाठ्यक्रम।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
सकाधि/राज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

अनुलग्नक-अ

महाप्रबन्धक / कार्मिक
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

उचित माध्यम द्वारा

विषय:- सहायक कार्मिक अधिकारी, ग्रुप-बी, 70प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध चयन।

संदर्भ:- का / 254 / 14-सकाधि / 70प्रतिशत / 2021 (I) दिनांक 15.02.2021

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के सम्बन्ध में, मैं उक्त परीक्षा में बैठने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।, मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है-

1. नाम- (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
- 1बी- पिता का नाम.....
2. पद
(कार्यालय एवं स्टेशन)
3. पदस्थापना स्थल-.....
4. नियंत्रक अधिकारी
5. जन्मतिथि
6. क्या अजा/अजजा समुदाय के हैं (स्पष्ट लिखें)
7. शैक्षणिक योग्यता-.....
8. सेवा में प्रारम्भिक नियुक्ति
- (अ) पद
- (ब) वेतनमान.....
- (स) नियुक्ति तिथि.....
9. अर्हता के सम्बन्ध में विवरण (एमएसीपी में मिले ग्रेड-पे का उल्लेख न किया जाए)-
(अ) पद
- (ब) ग्रेड पे 4200 में नियुक्ति तिथि
- (स) ग्रेड पे 4200 में कार्यरत अवधि वर्ष..... माह.....दिन.....

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएँ/घोषणा सत्य है, यदि गलत पायी जायेगी तो मुझे उपरोक्त ग्रुप-बी पद से पदावनति किया जा सकता है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

....

पद.....

पी एफ नं.....

मो0नं0.....

दिनांक.....

.....2/-

:: 2 ::

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीपदस्टेशन.....
...मेरे अधीन कार्यरत है।

नियंत्रक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....
कार्यालय मुहर.....
दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री-----'
पदनाम-----स्टेशन-----के
अन्तर्गत कार्यरत है। उसके आवेदन के प्रत्येक मद के सामने की गयी प्रविष्टि/सूचना की
संबंधित अधिकारी द्वारा जाँच और सत्यापन कर लिया गया है। अभ्यर्थी उपरोक्त चयन हेतु
पात्र है।

कैंडर नियंत्रक कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर.....
कार्यालय मुहर.....
.....
दिनांक.....

बहुविवाह (एकाधिक) विवाह के सम्बन्ध में घोषणा

- क- मैं विवाहित हूँ और मेरी एक जीवित पति/पत्नी है।
ख- मैं अविवाहित/विधुर हूँ।
ग- मैंने अपने पति/पत्नी के जीवित रहने के दौरान अन्य व्यक्ति से विवाह करार किया
है। माफी (छूट) की स्वीकृति हेतु आवेदन संलग्न है।

मैं शपथ पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण और
घोषणा बिल्कुल सत्य है और मैं यह समझता हूँ कि मेरी पदोन्नति के उपरान्त उपर्युक्त
घोषणा यदि असत्य पाई जाती है तो मुझे ग्रुप-बी की सेवा से पदावनति लिए मैं स्वयं
उत्तरदायी रहूँगा।

आपका विश्वसनीय

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

सकाधि, (ग्रुप-बी) 70 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध चयन का परीक्षा पाठ्यक्रम

SYLLABUS FOR SELECTION TO THE GROUP 'B' POST OF APO AGAINST 70% SELECTION.

Professional Subject:

1. Personnel department on Indian Railways, Legal framework, industrial laws, industrial relations and grievance redressal system:
 - a. Organization and Role of Personnel Department, its functions and objectives, Schedule Of Powers in Establishment Matters
 - b. Service law, CAT, High Courts, Supreme Court and effective handling of court cases, filing of Review Petitions, SLP, engagement of Advocates and payment of fees to them and their related issues.
 - c. Labour legislations viz, Factories Act, its applicability to Workshops and other Railway establishments, Special Rules for Workshop staff in Railways, payment of wages, Workmen's Compensation Act, ex-gratia payment, incentive bonus scheme, Minimum Wages Act, etc.
 - d. Hours of Employment Regulations, conducting of job analysis, payment of overtime, etc.
 - e. Engagement of casual labour and substitutes, policy and procedure thereof. Contact Labour (Regulation & Abolition) Act, 1972, The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal Act, 2013).
 - f. Recognition of Trade Unions and dealing with unrecognized Trade Unions/Associations Industrial disputes, their causes, strikes, lockouts, layoffs, provisions of Industrial Disputes Act and functions of Labour Enforcement Officers and Labour courts.
 - g. Grievance Redressal mechanism, Staff Welfare- Staff Benefit Fund, Consumer Co-op. Societies, medical assistance, Workers' Education Scheme Societies, educational assistance.
2. Manpower planning, methods of recruitment in Railways:
 - a. Manpower planning, surrender and creation of posts, work charged posts, temporary posts, supernumerary posts, vacancy bank etc.

- b. Recruitment:
 - (i) Recruitment at various levels and methods of recruitment:
 - Functioning of Railway Recruitment Boards.
 - Recruitment at Zonal Railways including recruitment of artisan staff. RRC, its roles and functions.
 - Appointment of land losers, compassionate ground appointments Sports quota appointments, Cultural quota and Scouts & Guide quota, appointments etc.
 - Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS)
 - (ii) Various Gr. 'A' organized services and recruitment to organized Gr. 'A' Railway Services.
 - (iii) Direct recruitment quota as well as quota for recruitment for intermediate grades.
 - (iv) Reservation in recruitment, horizontal and vertical reservation, reservation rosters etc.
 - c. Apprentice act and Implementation of Apprentices Act.
 - d. Absorption of medically de-categorized staff in alternative posts.
3. Training and Development: Basic concept of training and human resource development. Training and Development of Railway employees with emphasis on the following aspects:
- a. Training of Group C employees.
 - b. Functioning of Zonal Training Schools and other training institutions.
 - c. Training of Gazetted Officers in Railways as well as non-Railways institutions.
 - d. Various Railway Training Institutes like NAIR, IREEN, IRITM, IRISSET etc.
 - e. Future developments in Railways, the changing roles of Railway personnel and the need for on the job retaining, multi skilling etc.
4. Pay and Allowances: Preparation of Pay bills, Pay and allowances in the Railways i.e. Pay bands, Grade pay etc. Principles of pay fixation in case of appointment and promotion (functional and non functional promotions etc). Instances of pay protection etc. The various allowances admissible to the Railway employees including allowances to the running staff. Reimbursement of tuition fees and legal expenses. TA rules, Loans and advances admissible to the Railway employees and conditions thereof, PLB, etc.
5. Seniority and promotion:
- a. Rules regulating determination of seniority and procedure for promotion against selection and non-selection posts.

- b. Provision of reservation for schedule Caste and Scheduled Tribe employees. Maintaining of reservation rosters.
 - c. Other relaxations available to SC/ST candidates in safety and non-safety category posts and procedure for de-reservation of posts.
 - d. Performance appraisal – APAR, procedure, maintaining of records, communication of adverse comments etc.
 - e. NBR, sealed cover procedure etc.
- 6. Retirement benefits:
 - a. Pension rules (new and old) , provident fund rules, leave encashment rules, Gratuity rules,
 - b. Retirement benefits under different circumstances (superannuation, voluntary retirement, resignation, dismissal, technical absorption etc),
 - c. Impact of Disciplinary & Appeal Rules, penalties etc on retirement benefits,
 - d. Pension adalats, timely settlement and Redressal of grievances related to settlement,
 - e. Retirement benefits under Provident Fund & Pension rules and Schemes of Financial Settlement.
- 7. The Disciplinary & Appeal Rules, (1968), Railway Services Conduct Rules, (1966) & Schedule of Disciplinary Powers.
- 8. Pass Rules, Leave Rules and joining time. Medical assistance to Railway employees and retired Railway employees.
- 9. Computerization of records and personnel management functions (Human Resource Management System) - benefits, challenges and implementation.
- 10. Right to Information Act, 2005.
- 11. Official Language Policy and Official Language Rules.